366

संख्या : 620/XIII-II/2016–18(08)/2012

प्रेषक,

डॉ. रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलपति,
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,
भरसार, (पौड़ी गढ़वाल)।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 22 मार्च, 2016

विषयः उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय,भरसार में शोध केन्द्र, मुख्य प्रवेश द्वार एवं पार्क सौन्दर्यीकरण के निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आगणन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 88/XIII(2)/2013-18(08)/2012 दिनांक 27 मई, 2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम, देहरादून द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन ₹ 172.20लाख के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत ₹ 169.94लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2– तत्क्रम में आपके पत्र संख्या :VCSGUUHF/VC/07/2015/5715 दिनांक 27.6.2015 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त स्वीकृत कार्य के उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन ₹ 247.77लाख {₹ 188.66 लाख + ₹ 59.11लाख (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कार्य)} के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत **₹231.32लाख** {₹ 172.21लाख + ₹ 59.11लाख (अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्य)} (₹ दो करोड़ इकत्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, अवशेष धनराशि **₹61.38लाख** (₹ 231.32लाख–₹ 169.94लाख) (₹ इकसठ लाख अड़तीस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : –

1. उक्त कार्य इसी स्वीकृत धनराशि से समयबद्धता एवं वांछित गुणवत्तापूर्वक धनराशि प्राप्त होने के 06 माह के अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्तानुसार संशोधित/पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति अपवाद स्वरूप निर्गत की जा रही है एवं इसका किसी अन्य निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में दृष्टांत के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा। कार्य का अब कोई पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबंध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
5. धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। मितव्ययता के फलस्वरूप अवशेष धनराशि को वित्तीय वर्ष के अन्त में नियमानुसार शासन/वित्त विभाग को समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाआवश्यकता किश्तों में आहरण किया जाएगा।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

8. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
10. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
11. निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए।
12. उक्त अनुदान का देयक भरसार विश्वविद्यालय द्वारा बनाया जाएगा जो विश्वविद्यालय के कुलपति एवं वित्त नियंत्रक के द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा तथा जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 232/XIII-II/2014-39(08)/2013 दिनांक 29.3.2014 द्वारा भरसार विश्वविद्यालय के पी.एल.ए. खाते में हस्तान्तरित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 182 (पी)/XXVII(4)/2015 दिनांक 21मार्च, 2016 के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ. रणवीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : 620 (1)/XIII(2)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. वित्त नियंत्रक, भरसार विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल।
6. महाप्रबंधक, राजकीय निर्माण निगम लि., इकाई–4, देहरादून।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. राज्य योजना आयोग, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह परमार)
अनुसचिव।

D:\Anil 2012\Ciw, 2012.doc